

(185)


(61)

नगायालयत्री मान राजस्व मण्डल मंप्र० ५ सदस्य ५ गवालियर

५ कैप रीवा ५ जिला रीवा मंप्र०

R. 3072-~~30~~/12

निराननी प्रकरण ----- /12



1. बय राम प्रसाद तनय श्री रामसिंह, ब्रा०

2. बालेन्द्र पिता जयराम प्रसाद, ब्रा० दोनो निवासी ग्राम कोलोरा/भरा

आधिकारक अधिकारी के धारा व तहसील सेमिरिया जिला रीवा मंप्र० ----- अधिकारी गण
दिनांक ०९.०८.२०१२

बनाम

R. 3077-~~30~~/12

1. केदार प्रसाद तनय रामदास ब्रा० ✓

2. हरिमन तनयरामभजन ब्रा०, —

3. बालमीक प्रसाद तनय काशी प्रसाद, +

4. द्वजनन्दन तनय द्वजभूषण प्रसाद ब्रा०, ✓

5. मुस० विद्योदेवी बेवा सुर्यमिण ब्रा०, ✓

6. रोहणी प्रसाद तनय सुर्यमिण ब्रा०, ✓

7. महेश प्रसाद तनय सुर्यमिण ब्रा०, ✓

8. गोकरण प्रसाद तनय रामकुमाल प्रसाद ब्रा०,

9. दयानन्द तनय दौलतराम ब्रा०, ✓

10. संतोष प्रसाद ५ ✓

11. छसील प्रसाद, चारों के पिता स्व० रामाज्ज ब्रा० सभी निवासी

12. रामवित्त, ग्राम कोलोरा/भरा तहसील व धारा सेमिरिया,

13. रामगोपाल, जिला रीवा मंप्र० ----- अधिकारी गण

निराननी विलुप्त आदेश माननीय अधिकारी महो०
तहसील सिरमौर/ सेमिरिया जिला रीवा मंप्र० के राजस्व
प्रकरण क्र० ६६/अप्र०/व/२७/१०-११ आदेश द्वाक19. ६. १२, जिस अन्तिम आदेश के द्वारा माननीय
नायक तहसीलदार सेमिरिया के राजस्व प्रकरण क्र०

२०१२/८/२७

Court

१०
२०१८।१२

- १ - लोबा पुस्वीराया पिता बालमीकु पुसाद् उमे ७५९४
- २ - मागवत पुसाद् पिता बालमीकु पुसाद् उमे १०१६
- ३ - सत्यनारायण पिता बालमीकु पुसाद् उमे ५०९४
- ४ - ऊसुमकुली पुत्री बालमीकु पुसाद् उमे ५२१४
- ५ - राजवस्ती पुत्री बालमीकु पुसाद् उमे ३४१४
रामनारायण तपदि बालमीकु पुसाद् उमे ३५१४
रामी लिवासी शाम कमरा तहसील समारेश्वर जिल्हा रामा
(म० ७७)

(५४)

(6)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक..... R_3077-ग्रा.12जिला..... २१।।

.....जपराम प्रसाद था.विरुद्धछेयाए प्रसाद था. वा. अथ.....

1	2	3
15-1-19	<p>1. आवेदक की ओर से श्री.....आए छेयाए..... अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तहसील.....खेमारा..... के प्रकरण क्रमांक..... ६६/अपील/उत्ता. २३/१०-११..... में पारित आदेश दिनांक..... १९-६-१२..... के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म०प्र०० भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर..... २१।।..... के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक २५-३-१९..... को कलेक्टर..... २१।।..... के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p>	

सदस्य

१५-१-१९

१५-१-१९